Date – 9 July 2022

झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए दिशानिर्देश: CCPA

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने हाल ही में झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण:

- सीसीपीए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के आधार पर वर्ष 2020 में स्थापित एक नियामक संस्था है।
- सीसीपीए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।

उद्देश्य:

- एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना।
- उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और शिकायत/अभियोजन करना।
- असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं की वापसी, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों की समाप्ति का आदेश देना।
- भ्रामक विज्ञापनों के लिए उत्पादकों/प्रदर्शकों/प्रकाशकों को दंडित करना।

सलाह:

गैर-भ्रामक और वैध विज्ञापन:

- विज्ञापन को गैर-भ्रामक माना जा सकता है यदि इसमें वस्तु का सही और ईमानदार प्रतिनिधित्व होता है और सटीकता, वैज्ञानिक वैधता या व्यावहारिक उपयोगिता या क्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं करता है।
- अनजाने में हुई चूक के मामले में, विज्ञापन को अभी भी वैध माना जा सकता है यदि विज्ञापनदाता ने उपभोक्ता को कमी के बारे में सूचित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की है।

YOJNA IAS

सरोगेट विज्ञापन:

- "सरोगेट विज्ञापन" का अर्थ है अन्य वस्तुओं की आड़ में एक लेख का विज्ञापन।
- पान मसाला की आड़ में तंबाकू के विज्ञापन की तरह।
- ऐसे सामान या सेवाओं के लिए कोई सरोगेट विज्ञापन या अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं बनाया जाएगा जो अन्यथा विज्ञापन कानून द्वारा प्रतिबंधित या प्रतिबंधित हैं।
- इस तरह के निषेध या प्रतिबंध को दरकिनार करने और इसे अन्य वस्तुओं या सेवाओं के विज्ञापन के रूप में चित्रित करने की अनुमति नहीं होगी।

बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापन:

- ऐसे विज्ञापन जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं या बच्चों की अनुभवहीनता, विश्वसनीयता या विश्वास की भावना आदि का लाभ उठा सकते हैं, जो उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, व्यवहार को प्रेरित करते हैं या अनुचित तरीके से उनका अनुकरण करते हैं, प्रतिबंधित हैं।
- यह स्पष्ट है कि विज्ञापन बच्चों के खरीदारी व्यवहार को प्रभावित करते हैं और उन्हें अस्वास्थ्यकर वस्तुओं का उपभोग करने या स्वस्थ वस्तुओं के प्रति नकारात्मक भावनाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

विज्ञापनों में अस्वीकरण:

- दिशानिर्देश ऐसे विज्ञापन में की गई अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने, अर्हता प्राप्त करने या संबोधित करने के लिए "विज्ञापनों में अस्वीकरण" की आवश्यकता भी पेश करते हैं ताकि इस तरह के दावे को और अधिक विस्तार से समझाया जा सके।
- इसके अलावा, विज्ञापनदाता को "ऐसे विज्ञापन में किए गए किसी भी दावे के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जिसके चूकने या न होने से विज्ञापन को गुमराह करने या इसके व्यावसायिक इरादे को छिपाने की संभावना है"।

कर्तव्य:

- दिशा-निर्देशों में निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे विज्ञापनों में दावा न करें या तुलना न करें जो वस्तुनिष्ठ रूप से पता लगाने योग्य तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।
- इसके अलावा, विज्ञापन को उपभोक्ताओं का विश्वास हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, न कि "उपभोक्ताओं के विश्वास का दुरुपयोग करने या उनके अनुभव या ज्ञान की कमी का लाभ उठाने" के लिए नहीं।

दिशानिर्देशों का महत्व:

- दिशानिर्देश अग्रणी हैं क्योंकि वे एक विज्ञापनदाता के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करके महत्वपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण अंतराल को भरते हैं।
- दिशानिर्देश बच्चों के उद्देश्य से तर्कहीन उपभोक्तावाद के प्रचार को हतोत्साहित करने का भी प्रयास करते हैं।
- भ्रामक, लुभावने, सरोगेट और बाल-लक्षित विज्ञापन की समस्या बहुत लंबे समय से बिना किसी रुकावट के चल रही है।
- दिशानिर्देश भारतीय नियामक ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और मानकों के बराबर लाने का आवश्यक काम करते हैं।
- भ्रामक विज्ञापनदाताओं के विरुद्ध ग्राहकों को सशक्त बनाने के लिए दिशानिर्देश महत्वपूर्ण हैं।
- दिशानिर्देश एक भ्रामक या अमान्य विज्ञापन को परिभाषित करने के बजाय एक विज्ञापन को "गैर-भ्रामक और वैध" के रूप में परिभाषित करने वाले शब्दों का उल्लेख करते हैं।
- मौजूदा विज्ञापन विनियमों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को भी दिशानिर्देशों के माध्यम से दंडनीय बनाया गया है।

YOJNA IAS

स्वदीप कुमार

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत: यूनेस्को

- भारत को 2022-2026 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण (ICH) के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर-सरकारी समिति के लिए चुना गया है।
- भारत ने 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक दो बार आईसीएच समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है।
- इससे पहले, कोलकाता में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत:

- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वे प्रथाएं, अभिव्यक्तियां, ज्ञान और कौशल हैं जिन्हें समुदाय, समूह और कभी-कभी व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पहचानते हैं।
- इसे जीवित सांस्कृतिक विरासत भी कहा जाता है, इसे आमतौर पर **निम्नलिखित रूपों में से एक में व्यक्त किया जाता है:**
- मौखिक परंपराएं
- कला प्रदर्शन
- सामाजिक प्रथाओं
- अनुष्ठान और उत्सव कार्यक्रम
- प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और अभ्यास

- पारंपरिक शिल्प कौशल

अधिवेशन के लिए चुने जाने का भारत का महत्व:

- यह भारत को सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने, अमूर्त विरासत के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ कन्वेंशन के काम को संरेखित करने में मदद करेगा।
- भारत के पास 2003 के कन्वेंशन के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करने का अवसर होगा।
- भारत जीवित विरासत की विविधता और महत्व को उचित रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए कन्वेंशन के लिए अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय संवाद को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा।

अमूर्त विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को का कन्वेंशन:

- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा 2003 में अपनाया गया था और 2006 में लागू हुआ था।
- इसमें 24 सदस्य होते हैं और समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व और रोटेशन के सिद्धांतों के अनुसार कन्वेंशन की महासभा द्वारा चुने जाते हैं।
- समिति के सदस्य चार साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं।

उद्देश्य:

- वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं से खतरे में पड़ी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्तियों की रक्षा करना।
- समुदायों, समूहों और व्यक्तियों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए सम्मान सुनिश्चित करना।

- स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

प्रकाशन:

- मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची।
- तत्काल संरक्षण की आवश्यकता में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची।
- अच्छी सुरक्षा प्रथाओं का रजिस्टर

आईसीएच के रूप में मान्यता प्राप्त भारतीय विरासत:

- ICH की प्रतिष्ठित यूनेस्को की मानवता की प्रतिनिधि सूची में भारत की 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शामिल हैं
- दुर्गा पूजा के अलावा, भारत में यूनेस्को द्वारा आईसीएच के रूप में मान्यता प्राप्त 13 परंपराएं हैं।

स्वदीप कुमार

दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी

दुर्लभ खनिजों के लिये परियोजनाओं एवं आपूर्ति शृंखलाओं के क्षेत्र में **भारतऔर ऑस्ट्रेलिया** ने अपनी साझेदारी को मज़बूत करने का निर्णय लिया।

- **भारत-ऑस्ट्रेलिया दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी के तहत तीन साल के लिये 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा,** ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस बात की पुष्टि की है।

दुर्लभ खनिज

- **दुर्लभ खनिज ऐसे 17 केमिकल पदार्थ होते हैं, जो पृथ्वी की भीतरी परतों में दबे पड़े हुए हैं। इनका अत्यधिक उपयोग इंसानों द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पादों में किया जाता है। वर्तमान जीवनशैली इन्हीं खनिजों पर आधारित है।**
  - आधुनिक युग में दुर्लभ खनिज ऐसे तत्त्व हैं,जो महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की बुनियाद हैं और इनकी कमी की वजह से पूरी दुनिया में आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा है।

उदाहरण:

- दुर्लभ खनिजों की सूची में ज़्यादातर ग्रेफाइट, **लिथियम** और **कोबाल्ट** शामिल हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी बनाने के लिये किया जाता है। ये काफी दुर्लभ खनिज होते हैं, जिनका उपयोग मैग्नेट तथा सिलिकॉन बनाने के लिये किया जाता है एवं जो कंप्यूटर चिप्स व सौर पैनल बनाने हेतु एक प्रमुख खनिज हैं।

दुर्लभ खनिजों के उपयोग

- इन खनिजों का उपयोग आजकल स्मार्ट फोन जीपीएस सिस्टम, हार्ड ड्राइव, और कंप्यूटर बनाने से लेकर वाहनों की बैटरी, **इलेक्ट्रिक वाहन (EV) तथा** हरित प्रौद्योगिकी जैसे सौर पैनल एवं पवन टरबाइन बनाने तक हर जगह किया जाता है।
- इनका **उपयोग लड़ाकू जेट, ड्रोन, रेडियो सेट, अन्तरिक्ष उपग्रह, संचार उपग्रह तथा अन्य महत्त्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण में किया जाता है।** इस प्रकार कहा जा सकता है कि एयरोस्पेस, संचार और रक्षा उद्योग भी कई ऐसे खनिजों पर निर्भर हैं।

साझेदारी का महत्त्व:

- ऑस्ट्रेलिया के पास दुर्लभ खनिजों का भंडार है जिससे भारत के अंतरिक्ष और रक्षा उद्योगों, सौर पैनलों, बैटरी एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में सहायता प्राप्त होगी साथ ही साथ महत्त्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा भारत की महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने में बहुत लाभकारी सिद्ध होगी।
- द्विपक्षीय साझेदारी के द्वारा भारत की रुचि और समर्थन के चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाते हुए ऑस्ट्रेलिया में महत्त्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हर खनिज क्षेत्र में सहयोग की बहुत अधिक गुंजाइश है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ज्ञान-साझाकरण , लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों में निवेश स्वच्छ ऊर्जा महत्त्वाकांक्षा को प्राप्त करने हेतु रणनीतिक रूप से आवश्यक है।

YOJNA IAS

भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैत्री संबंध

- भारत और ऑस्ट्रेलिया उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों को साझा करते हैं जो हाल के वर्षों में एक सकारात्मक ट्रैक के साथ मैत्रीपूर्ण साझेदारी में विकसित परिवर्तनकारी विकास से गुज़रे हैं।
    - यह एक विशेष साझेदारी है जो बहुलवादी, संसदीय लोकतंत्रों, राष्ट्रमंडल परंपराओं के साझा मूल्यों, लंबे समय से चले आ रहे लोगों से लोगों के बीच आर्थिक जुड़ाव का विस्तार करने और उच्च स्तरीय बातचीत को बढ़ाने की विशेषता रखते हैं

- **भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी:** इसकी शुरुआत जून 2020 में आयोजित **भारत–ऑस्ट्रेलिया लीडर्स वर्चुअल समिट** के दौरान हुई थी और यह भारत-ऑस्ट्रेलिया के बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला है।

व्यावसायिक सहयोग:

- वर्ष 2021 में व्यापार और सेवाओं दोनों में भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।
- वर्ष 2019 और 2021 के बीच ऑस्ट्रेलिया में भारत के व्यापारिक निर्यात में 135% की वृद्धि हुई। भारत के निर्यात में मुख्य रूप से तैयार उत्पादों का एक व्यापक-आधार वाला बास्केट शामिल है और वर्ष 2021 में यह 6.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
- 2021 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 15.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के बड़े पैमाने पर कच्चे माल, खनिज और मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात किया था।

अन्य सहयोग

- **हिंद–प्रशांत क्षेत्र** में सप्लाई चेन रेज़ीलिएंस को बढ़ाने हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ त्रिपक्षीय **सप्लाई चेन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव (SCRI)** व्यवस्था में भागीदार हैं।
- इसके अतिरिक्त भारत एवं ऑस्ट्रेलिया भी **QUAD समूह (भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया और जापान)** के सदस्य हैं, जिसका उद्देश्य साझा चिंता के कई मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना और साझेदारी विकसित करना है।

YOJNA IAS

रवि सिंह